रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 1995/ज्येष्ठ 15, 1917
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 1995/JYAISHTA 15, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जून, 1995
सं. 108/95-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उपदर्शित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन करती है।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 160/92-सीमा-शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992	उक्त अधिसूचना की शर्त (1) में, "जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1995 को या इसके पूर्व जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति शब्द और अंक रखे जायेंगे।
2.	अधिसूचना स. 307/92-सीमा-शुल्क, तारीख 28 दिसम्बर, 1992	उक्त अधिसूचना की शर्त (1) में, "किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता है" शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1995 को या इसके पूर्व जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता है" शब्द और अंक रखे जायेंगे।
3.	अधिसूचना सं. 122/93-सीमा-शुल्क, तारीख 14 मई, 1993	उक्त अधिसूचना की शर्त (1) में "जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं" शब्दों के स्थान पर "30 अप्रैल, 1995 को या इसके पूर्व जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा.सं. 605/71/95-डी.बी.के.]
ए.के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1995

NO. 108/95-Customs

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby further amends the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) as indicated in Column (2) of the Table hereunder in the manner specified in Column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendment
1	2	3
1.	Notification No. 160/92-Custom dated the 20th April, 1992.	In the aid notification, in condition (i), for the words "by a valid licence issued", the words, and figures, "by a valid licence issued on or before 30th April, 1995" shall be substituted.
2.	Notification No. 307/92-Customs, Sated the 28th December, 1992.	In the said notification, in condition (i), for the words "covered by a vaild licence", the words, figures and letters "covered by a valid licence issued on or before 30th April, 1995", shall by substituted.
3.	Notification No. 122/93-Customs, dated the 14th May, 1993.	In the said notification, in condition (i), for the words "covered by a valid licence issued", the words, figures and letters, "covered by a valid licence issued on or before 30th April, 1995", shall be substituted.

[F.No. 605/71/95-DBK]
A.K. MADAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जन, 1995
सं. 109/95-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 479(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 161/92-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण के खण्ड (1) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) सर्विस करना;"

[फा.सं. 605/71/95-डी.बी.के.]
ए.के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1995

NO. 109/95-Customs

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 161/92-Customs, dated the 20th April, 1992, namely :—

In the said notification, in the Explanation, in clause (i), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be added, namely :—

"(c) rendering services".

[F. No. 605/71/95-DBK]
A. K. MADAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जून, 1995
सं. 110/95-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में यथाविनिर्दिष्ट माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क जितना मूल्य के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

(1) आयातित माल, निर्यात और आयात नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नीति कहा गया है) के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल (नि.स.पू.मा.) स्कीम के अधीन 1 मई, 1975 को या उसके पश्चात् जारी की गई है किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता है, जिसके द्वारा 15 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क का संदाय किये जाने पर आयात अनुज्ञात किया गया है, और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिये प्रस्तुत की जाती है ;

(2) आयातकर्ता, निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को अनुज्ञापन प्राधिकारी से उक्त नीति के पैरा 45 के निबन्धनों के अनुसार एक विधि बचनबद्ध निष्पादित किये जाने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ;

(3) आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के लिये जो से प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, आयातित माल की लागत बीमा भाड़ा और मूल्य के चार गुने के बराबर या ऐसा

उच्चतर राशि के लिये, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाये, निम्नलिखित अनुपात में उक्त अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है :—

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	पहला वर्ष	शून्य
2.	दूसरा वर्ष	10 प्रतिशत
3.	तीसरा वर्ष	20 प्रतिशत
4.	चौथा वर्ष	30 प्रतिशत
5.	पांचवां वर्ष	40 प्रतिशत

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती वर्षों में किये गये अधिक निर्यातों द्वारा मुजरा किया जा सकेगा ।

(4) आयातकर्ता, दूसरे वर्ष से, अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, अनुज्ञापन प्राधिकारी से पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिमाण वर्णित करने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है और जहां किसी विशिष्ट वर्ष की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की जाती है, वहां आयातकर्ता, उक्त वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर हो, जिस का वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता के पूरा न किये गये भाग का कुल निर्यात बाध्यता से संबंधित है;

(5) यदि आयातकर्ता किसी विशिष्ट वर्ष के लिये विहित निर्यात बाध्यता का लगातार तीन वर्षों तक कम से कम 25 प्रतिशत निर्वहन करने में असफल रहता है तो वह, इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो आयात किये गये माल पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क का तत्काल संदाय करने के लिये दायी होगा;

(6) आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने में संस्थापित किये गये हैं और अधिकारिता वाला सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से एक प्रमाणपत्र, आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, प्रस्तुत किया जाता है ।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
1	पूंजी माल
2.	आयातकर्ता द्वारा पूंजीमाल में समंजित किये जाने वाले एस के डी/सी के डी दशा में पूंजी माल ।
3.	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल के समंजन या विनिर्माण के लिये अपेक्षित पूंजीमाल के संघटक ।
4.	ऐसे अतिरिक्त पुर्जे, जो वस्तुतः आयातित क्रम सं. 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हों और इस प्रकार आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल के अनुरक्षण के लिये अपेक्षित हों ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में,—

(1) पूंजी माल से निम्नलिखित के लिये अपेक्षित कोई संयंत्र मशीनरी, उपस्कर और उपसाधन अभिप्रेत है—

(क) अन्य माल का, जिसके अन्तर्गत पैकेजिंग मशीनरी और उपस्कर, उच्च तापसह, प्रशीतन उपस्कर, शक्ति उत्पादन सेट, मशीन औजार, आरम्भिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा परीक्षण, अनुसंधान और विकास क्वालिटी तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर और उपकरण हैं, विनिर्माण या उत्पादन;

(ख) विनिर्माण, खनन, कृषि, जल कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन और रेशम उत्पादन;

(ग) सर्विस करना ;

(2) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1-(आर ई-95)/92–97 तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 (पुनरीक्षित संस्करण : मार्च, 1995) अभिप्रेत है ;

(3) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) बरते हुए पूंजी माल के संबंध में, "लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य" से तत्स्थानी नये पूंजी माल का लागत बीमा और भाड़ा मूल्य अभिप्रेत है ;

(5) "निर्यात बाध्यता" से सर्विस करने वालों से भिन्न आयातकर्ताओं के संबंध में, इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार, आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात अभिप्रेत है; और सर्विस करने वाले आयातकर्ताओं के संबंध में, ऐसे पूंजीमाल के उपयोग द्वारा की गई सर्विस के लिये निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में विदेश से संदाय प्राप्त करना अभिप्रेत है ।

[फा.सं. 805/71/95–डीबीके]
ए.के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1995

NO. 110/95-Customs

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods as specified in the Table annexed hereto from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (52 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 15 per cent ad valorem and whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(1) The goods imported are covered by a valid licence issued on or after 1st May, 1995 under the Export Promotion Capital Goods

(E.P.C.G.) Scheme in terms of Export and Import Policy (hereinafter referred to as the said Policy) permitting import on payment of duty of customs at the rate of 15 per cent and the said licence is produced for debit by the proper officer of the customs at the time of clearance;

(2) The importer at the time of clearance produces to the Assistant Commissioner of Customs a certificate from the Licencing Authority for having executed a legal undertaking in terms of paragraph 45 of the said Policy;

(3) The importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs binding himself to fulfil export obligation equivalent to four times the CIF value of the goods imported, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of five years from the date of issue of the said licence in the following proportions :—

S.No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
1.	1st year	NIL
2.	2nd year	10%
3.	3rd year	20%
4.	4th year	30%
5.	5th year	40%

Provided that export obligation of a particular year may be set off by the excess exports made in the preceding years.

(4) The importer produces within thirty days of the expiry of each year from the date of issue of licence from 2nd year or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs may allow, a certificate from the Licencing Authority showing the extent of export obligation fulfilled, and where export obligation of any particular year is not fufilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said year pay an amount equal to that portion of the duty leviable on the goods but for the exemption contained herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation.

(5) The importer shall, if he fails to discharge a minimum of 25 per cent of the export obligation prescribed for any particular year, for three consecutive years, be liable to pay forthwith the whole of the duty of customs leviable on the goods imported but for the exemption contained in this notification;

(6) The capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory and a certificate from the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise is produced within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the said Assistant Commissioner of Customs may allow.

TABLE

S.No.	Description of goods
1.	Capital goods.
2.	Capital goods in SKD/CKD condition to be assembled into capital goods by the importer.
3	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts not exceeding 10% of the value of goods specified at serial Nos. 1, 2 and 3 actually imported and required for maintenance of the capital goods so imported, assembled, or manufactured.

Explanation.—In this notification,—

(i) "Capital goods" means any plant, machinery, equipment and accessories required for ;—

(a) manufacture or production of other goods, including packaging machinery and equipments, refractories, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, and equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control;

(b) use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture;

(c) rendering services;

(ii) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 1 April 1992—31 March 1997 (Revised edition : March 1995) published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1 (RE-95)/92—97 dated the 31st March, 1995;

(iii) "Licensing Authority" means the Director General, Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(iv) "CIF value", in relation to second-hand capital goods, means the CIF value of the corresponding new capital goods;

(v) "export obligation", in relation to importers other than those rendering service, means export to a place outside India of products

manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification; and, in relation to importers rendering services, means receiving payments from abroad in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods.

[F. No. 605/71/95-DBK]
A. K. MADAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1995

सं. 111/95-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 181(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् —

(1) आयातित माल, निर्यात और आयात नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नीति कहा गया है) के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल (नि.स.पू.मा.) स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विनिमेय अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता है, जिसके द्वारा शुल्क दिये बिना माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिये प्रस्तुत की जाती है;

(2) आयातकर्ता, निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने उक्त नीति के पैरा 45 के निबन्धनों के अनुसार एक विधिक बन्धन-बंध निष्पादित किये जाने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;

(3) आयातकर्ता, ऐसा प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए तथा ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, पोत पर्यन्त निःशुल्क आधार पर आयातित माल की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के छह गुने या शुद्ध विदेशी मुद्रा के आधार पर लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के चार गुने के बराबर, जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है या ऐसी उच्चतर राशि के लिये, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाये, निम्नलिखित अनुपात में उक्त अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है :—

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	पहले और दूसरे वर्ष का ब्लाक	शून्य
2.	तीसरे और चौथे वर्ष का ब्लाक	15 प्रतिशत
3.	पांचवें और छठे वर्ष का ब्लाक	35 प्रतिशत
4.	सातवें और आठवें वर्ष का ब्लाक	50 प्रतिशत

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लाक वर्ष की निर्यात बाध्यता को उक्त पूर्ववर्ती ब्लाकों में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

(4) आयातकर्ता, दूसरे ब्लाक से, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के प्रत्येक ब्लाक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, अनुज्ञापन प्राधिकारी से पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिमाण दर्शित करने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है और जहां दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लाक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की जाती है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लाक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर हो, जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता के पूरा न किए गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, सदाय करेगा;

(5) यदि आयातकर्ता दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लाक के लिए विहित निर्यात बाध्यता का लगातार दो ब्लाकों तक कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात करने में असफल रहता है तो वह, यदि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो आयात किए गए माल पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क का तत्काल संदाय करने के लिए दायी होगा;

(6) यदि आयातकर्ता आयात अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि के भीतर कम से कम बीस करोड़ रुपए मूल्य के माल का आयात करने में असफल रहता है तो वह, यदि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो आयात किए गए माल पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क का तत्काल संदाय करने के लिए दायी होगा;

(7) आयातित, समजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से एक प्रमाणपत्र, आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त करे, प्रस्तुत किया जाता है।

सारणी

क्रम सं.	माल वर्णन
(1)	(2)
1.	पूंजीमाल
2.	आयातकर्ता द्वारा पूंजीमाल में समजित किए जाने वाले एस के डी/सी के डी दशा में पूंजी माल।
3	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल के समजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजीमाल के संघटक।
4.	ऐसे अतिरिक्त पुर्जे जो वस्तुतः आयातित क्रम सं. 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हों और इस प्रकार आयातित, समजित या विनिर्मित पूंजी माल के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हों।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, :—

(1) पूंजी माल से निम्नलिखित के लिए अपेक्षित कोई समंत्र, मशीनरी, उपस्कर और उपसाधन अभिप्रेत है :—

(क) अन्य माल का, जिसके अंतर्गत पैकेजिंग मशीनरी और उपस्कर, उच्च तापसह, प्रशीतन उपस्कर, शक्ति उत्पादन सेट, मशीन औजार आरम्भिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, क्वालिटी तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर और उपकरण हैं, विनिर्माण या उत्पादन;

(ख) विनिर्माण, खनन, कृषि, जल कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन और रेशम उत्पादन में उपयोग करना,

(ग) सर्विस करना,

(2) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1—आर ई—95-92-97 तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 (पुनरीक्षण संस्करण, मार्च, 1995) अभिप्रेत है ;

(3) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) बरते हुए पूंजी माल के संबंध में, "लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य" से तत्स्थानी नए पूंजी माल का लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य अभिप्रेत है ;

(5) "निर्यात बाध्यता" से इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार आयातित, समजित या विनिर्मित पूंजी माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात अभिप्रेत है;

(6) "शुद्ध विदेशी मुद्रा" से इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार बाध्यता के उन्मोचन में निर्यातित उत्पादों का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य घटा उसके विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों का लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य, अभिप्रेत है जहां ऐसे निवेशों का :—

(क) आयातकर्ता द्वारा सीधे आयात किया गया है ,

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयात किया गया है और कोई अन्य विनिर्माण प्रक्रिया किए बिना आयातकर्ता को उसका प्रदाय किया गया है,

(ग) देश में उपापन किया जाता है जिसके लिए आयातकर्ता निर्यात और आयात नीति के अध्याय 6 में अन्तर्विष्ट शुल्क छूट स्कीम के अधीन पुनः पूर्ति का दावा करता है।

[फा. सं. 605/93/95–डी. बी. के.]

ए. के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1995

NO. 111|95-Customs

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto from whole of the duty of customs leivable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(1) The goods imported are covered by a valid licence under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of Export and Import Policy (hereinafter referred to as the said Policy) permitting import of goods free of duty and the said licence is produced for debit by the proper officer of the customs at the time of clearance;

(2) The importer at the time of clearance produces to the Assistant Commissioner of Customs a certificate from the Licencing Authority for having executed a legal undertaking in terms of paragraph 45 of the said Policy;

(3) The importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs binding himself to fulfill export obligation equivalent to six times the CIF value of the goods imported on FOB basis, or four times of the CIF value on Net Foreign Exchange basis, as specified in the licence, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of eight years in the following proportions :—

S.No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
1	2	3
1.	Block of 1st and 2nd year	NIL
2.	Block of 3rd and 4th year	15%
3.	BlocS of 5th and 6th year	35%
4.	Block of 7th and 8th year	50%

Provided that export obligation of a particular block may be set off by the excess exports made in the said preceeding blocks.

(4) The importer produces within 30 days from the expiry of each block of two years from the date of issue of licence from the second block or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs may allow, a certificate from the Licensing Authority showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block of two years is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an amount equal to that portion of duties leviable on the goods but for the exemption contained herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation;

(5) The importer, shall, if he fails to discharge a minimum of 25 per cent of the exports obligation prescribed for any particular block of two years for two consequitive blocks, be liable to pay forthwith, the whole of the duties of customs leviable on the goods imported but for the exemption contained in this notification;

(6) The importer shall, if he fails to import goods for a minimum value of twenty crores of rupees within the validity period of the import licence, be liable to pay forthwith the whole of the duties of customs leviable on the goods imported but for exemption contained in this notification ;

(7) The capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory and a certificate from the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise is produced within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the said Assistant Commissioner of Customs may allow.

TABLE

S.No.	Description of goods
1	2
1.	Capital goods.
2.	Capital goods in SKD/CKD condition to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts not exceeding 10% of the value of goods specified at serial nos. 1, 2 and 3 as actually imported and required for maintenance of capital goods so Imported, assembled or manufactured.

Explanation.—In this notification,—

(1) "Capital goods" means any plant, machinery, equipment and assessories required for—

(a) manufacture or production of other goods, including packaging machinery and equipments, refractories, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, and equipments and instruments for testing, research and development, quality and pollution control;

(b) use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture;

(2) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 1 April, 1992—31 March 1997 (Revised edition : March 1995) published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. 1(RE.95)/92—97 dated the 31st March, 1995;

(3) "Licensing Authority" means the Director General, Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(4) "CIF value", in relation to second hand capital goods, means the CIF value of the corresponding new capital goods;

(5) "export obligation" means export to a place outside India of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification;

(6) "Net foreign exchange" means FOB value of products exported in discharge of obligation in terms of this notification minus CIF value of inputs used in manufacture thereof where such inputs have been—

(a) imported by the importer directly;

(b) imported by another person and supplied to importer without undergoing any process of manufacture;

(c) procured indigeneously, for which the importer claims replenishment under the Duty Exemption Scheme as contained in Chapter VI of the Export and Import policy.

[F. No. 605/93/95-DBK]

A. K. MADAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995